राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 27.04.2026

पंचायत आम निर्वाचन, 2026 हेतु 'प्रपत्र-1' के प्रकाशन की संशोधित समय-सारणी।

- पंचायत आम निर्वाचन, 2026 के अंतर्गत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राजस्व ग्रामवार जनगणना पर आधारित 'प्रपत्र-1' का प्रारूप प्रकाशन **दिनांक 27.04.2026** को प्रस्तावित था। **तथापि, अपरिहार्य कारणों से** 'प्रपत्र-1' के प्रारूप प्रकाशन की तिथि एवं संबंधित समय-सारणी में संशोधन किया गया है।
- संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब 'प्रपत्र-1' का प्रारूप प्रकाशन **दिनांक 04.05.2026**को किया जाएगा।
- संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 'प्रपत्र-1' से संबंधित दावा/ आपत्ति की अवधि **दिनांक 04.05.2026 से 18.05.2026**तक निर्धारित है।
- सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही संबंधित दावा/आपत्ति प्रविष्टि मान्य होगी।

'प्रपत्र-1' के प्रकाशन की संशोधित व अद्यतन समय-सारणी निम्नवत् है:

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संशोधित तिथि/अवधि
1.	'प्रपत्र-1' का प्रारूप प्रकाशन (वर्ष 2011 की जनसँख्या के अनुसार राजस्व ग्रामवार जनगणना के आलोक में)	04.05.2026
2.	आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	04.05.2026 से 18.05.2026 तक
3.	आपत्तियों का निष्पादन	04.05.2026 से 22.05.2026 तक
4.	अपील वादों का निष्पादन	11.05.2026 से 29.05.2026 तक
5.	'प्रपत्र-1' का अंतिम प्रकाशन	05.06.2026 तक
6.	'प्रपत्र-1' के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन	09.06.2026

- उपरोक्त विवरण के आधार पर पूर्व में संसूचित एवं निर्धारित कार्यक्रम को संशोधित प्रक्रम के तहत स्वीकार किया जाएगा। आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि डाटा प्रविष्टि और सत्यापन का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर 'प्रपत्र-1' का प्रारूप प्रकाशन **दिनांक 04.05.2026** को किया जाना है।

- **प्रकाशन स्थल**

  प्रारूप प्रपत्र-1 निम्नलिखित स्थानों पर प्रकाशित किया जाएगा:-
  - ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय
  - जिला परिषद सदस्य पद हेतु प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय
  - उपरोक्त के अलावा आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in

मतदाता/नागरिक हेतु सुविधा

- मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा :- कोई भी मतदाता/ नागरिक राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचन/मतदाता सूची/मतदान केन्द्र/ 'प्रपत्र-1' से संबन्धित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं ऑनलाइन दावा/आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।
- इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मतदाता / अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नं. 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार